बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

आदेश

संचिका सं0– 8बी/विविधअरा0आ0नि0 47/2022 ....2.C.0   पटना, दिनांक..............................

श्री अनिल कुमार, सेवा निवृत्त, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, गया के पदस्थापन अवधि में दस्तावेज सं0–21592/2021 के स्थल जाँच प्रतिवेदन में संरचना की कम मापी दर्शाते हुए गलत जाँच स्थल प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति के मामले में श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 7093, दिनांक 22.12.2022 द्वारा सहायक निबंधन महानिरीक्षक मगध प्रमंडल, गया से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक–46, दि0–14.03.2023 द्वारा श्री कुमार, के विरूद्ध जिला अवर निबंधक, गया द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि तत्कालीन प्रभारी जिला अवर निबंधक, गया के स्थल जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि निबंधित दस्तावेज संख्या–21592/2021 दिनांक–24.11.2021 में श्री अनिल कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक द्वारा संरचना की कम मापी दर्शाते हुए गलत स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए राजस्व की क्षति की गयी है। स्थल जाँच लिपिक द्वारा अपेक्षित सावधानी बरती नहीं गयी । श्री कुमार का कृत्य बिहार निबंधन नियमावली 2008 के नियम 17 एवं स्थल जाँच हेतु समय समय पर दिये गये निर्देशों के प्रतिकुल है। उनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1)(i) (ii)(iii) का उल्लंघन किया गया है।

2. तदोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं सहायक निबंधन महिनिरीक्षक, मगध प्रमण्डल, गया को संचालन पदाधिकारी एवं जिला अवर निबंधक, गया को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक–160 दिनांक–13.09.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें निष्कर्षित किया गया है कि निबंधित दस्तावेज संख्या–21592/2021 में श्री कुमार द्वारा संरचना की कम मापी दर्शाते हुए गलत स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के कारण सरकारी राजस्व की क्षति हुई है। आरोपी कर्मी का यह कहना की बिक्री की गयी भू–सम्पति/मकान से अलग मकान दिखा दिया गया जिसके कारण मापी कम हो गयी, स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है। आवासीय श्रेणी की भू–सम्पति जिसके आस–पास में अन्य घर/मकान आदि निर्मित हो, ऐसे स्थानों की भू–सम्पति की जाँच में इस तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जा सकती है। संरचना युक्त भू–सम्पति की जाँच करते समय स्थानीय लोगों से पूछताछ कर चौहद्दी का मिलान करते हुए सावधानी पूर्वक भू–सम्पति को चिन्हित कर भू–सम्पति पर निर्मित संरचना की मापी सही रूप से करते हुए स्थल जाँच किया जाना अपेक्षित था, इस मामले में स्थल जाँच लिपिक के द्वारा स्पष्ट रूप से सावधानी नहीं बरती गयी है, जिसके कारण उनके द्वारा संरचना का सही रूप में मापी नहीं करते हुए संरचना का क्षेत्रफल वास्तविकता से कम प्रतिवेदित किया गया तथा सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी एवं उनके द्वारा विभागीय नियमों/अधिनियमों एवं समय–समय पर दिये गये विभागीय

(20)

निदेशों के प्रतिकूल कार्य किया गया है। दस्तावेज संख्या–21592/2021 में स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने संबंधित आरोप प्रमाणित होता है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक–2907 दिनांक–22.07.2024 द्वारा प्रमाणित आरोपों पर जिला अवर निबंधक, गया के माध्यम से श्री कुमार से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा द्वितीय बचाव बयान उपलब्ध कराया गया जिसकी अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में केवल उन्ही तथ्यों को पुनः उल्लेखित किया है, जो उन्होंने पूर्व में समर्पित अपने स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी को समर्पित अपने आवेदन में अंकित किया था। उन्होंने अपने द्वितीय बचाव बयान में कोई नया तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

5. श्री अनिल कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, तत्संबंधी संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्षित प्रमाणित आरोप एवं श्री कुमार के द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

6. अतएव श्री अनिल कुमार, सेवा निवृत्त, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, गया के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी के द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये प्रमाणित आरोप के आलोक मे उनके द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके द्वारा बरती गयी लापरवाही/चूक के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम, 43(बी0) के संगत प्रावधानों के तहत उनके पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 02 (दो) वर्षो के लिए करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।
पटना, दिनांकः– 17.02.25

ज्ञापांकः– 8बी/विविधअरा0आ0नि0-47/2022 700

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता –सह–जिला निबंधक, गया/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमण्डल, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/जिला अवर निबंधक, गया/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री अनिल कुमार, सेवा निवृत्त, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2025
सरकार के उप सचिव
बिहार, पटना।